07/11/24

पत्रावली [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

GCMS
2023/371

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.11.19 16:40:35 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी– सन्दीप कुमार, आर.ए.एस.

वाद संख्याः– 106/2023
GCMS:- 2023/371

ता.दायराः– 19.05.2023

–: अनवान :–

प्रभुराम पुत्र मामराज जाति सुथार निवासी चक 7 एस.जी.एम. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

......वादी

बनाम

1. गुरदीपसिंह पुत्र हरचन्दसिंह जाति नाईसिख निवासी मोहम्मदाबाद भैरूपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
2. सुखविन्द्रकौर पत्नी हरचन्दसिंह जाति नाईसिख निवासी मोहम्मदाबाद तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
3. श्रंगारोकौर पत्नी जगतारसिंह जाति नाईसिख निवासी मोहम्मदाबाद तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
4. गुरप्रीतसिंह पुत्र जगतारसिंह जाति नाईसिख निवासी मोहम्मदाबाद भैरूपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
5. सुखराजसिंह पुत्र भादरसिंह जाति जटसिख निवासी खोसेवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
6. स्वराजसिंह पुत्र भादरसिंह जाति जटसिख निवासी खोसेवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
7. इन्द्रादेवी पत्नी पपिन्द्र कुमार जाति बिश्नोई निवासी संगीता तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
8. नरेन्द्र कुमार पुत्र पपिन्द्र कुमार जाति बिश्नोई निवासी संगीता तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
9. सुरेन्द्र कुमार पुत्र पपिन्द्र कुमार जाति बिश्नोई निवासी संगीता तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
10. शाखा प्रबन्धक, केनरा बैंक शाखा SURATGARH-II तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
11. शाखा प्रबन्धक, पंजाब नेशनल बैंक शाखा बीकानेर रोड़ सूरतगढ़।
12. शाखा प्रबन्धक, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड शाखा सूरतगढ़।
13. तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

......प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.11.19 16:40:35 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थितः–
1. श्री विनोद कुमार बिश्नोई, अधिवक्ता वादी
2. श्री अमित सैनी, अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 4
3. श्री ओमसिंह, अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 10

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

4. श्री सुरेन्द्रपाल सिंह, अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 12
5. पैरोकार राज नायब तहसीलदार सूरतगढ़।

– :: निर्णय ::–

दिनांकः– 07.11.2024

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकेन उपस्थित। उभयपक्षकारान के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। वाद पत्र के तथ्य सक्षेंप मे इस प्रकार से है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 के नाम से संयुक्त खाते मे कृषि भूमि वाके तहसील सूरतगढ़ के चक 4 एस.डी. ए पटवार हल्का संगीता जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 जमाबन्दी 2077(वर्ष 2021)से स्थायी के खाता संख्या 16/25 में पत्थर नम्बर 11/40 मु.न. 27 के किला नम्बर 6/1, 6/2, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 23, 24, 25/1, 25/2 में 0.4560 हैक्टेयर कमाण्ड, 0.1000 हैक्टेयर खाला, 0.962 हैक्टेयर अनकमाण्ड, पत्थर नम्बर 11/47 मु.न. 11 के किला नम्बर 6, 13, 14, 15, 23/1 में 1.2270 हैक्टेयर कमाण्ड, पत्थर नम्बर 11/55 मु.न. 12 किला नम्बर 10/1 में 0.2280 हैक्टेयर, पत्थर नम्बर 11/56 मु.न. 25 किला नम्बर 1, 10, 11, 19 ता 22 में 1.7710 हैक्टेयर कमाण्ड, पत्थर नम्बर 12/33 मु.न. 32 किला नम्बर 2 ता 8, 14, 15 में 2.2770 हैक्टेयर अनकमाण्ड, पत्थर नम्बर 12/41 मु.न. 33 किला नम्बर 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 7 ता 12 में 0.6840 हैक्टेयर कमाण्ड, 0.1250 हैक्टेयर खाला, 1.9740 हैक्टेयर अनकमाण्ड, पत्थर नम्बर 12/49 मु.न. 34 किला नम्बर 1/1, 1/2, 2/1, 2/2 में 0.2280 हैक्टेयर, 0.0500 हैक्टेयर खाला, 0.2280 हैक्टेयर अनकमाण्ड कुल खाता 10.3100 हैक्टेयर खातेदारी दर्ज राजस्व रिकार्ड हैं। जिसमें वादी का हिस्सा 1012/5155 तथा प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा 4143/41240, प्रतिवादी संख्या 2 का हिस्सा 4143/41240, प्रतिवादी संख्या 3 का हिस्सा 4143/41240, प्रतिवादी संख्या 4 का हिस्सा 4143/41240, प्रतिवादी संख्या 5 का हिस्सा 506/5155, प्रतिवादी संख्या 6 का हिस्सा 506/5155, प्रतिवादी संख्या 7 का हिस्सा 707/10310, प्रतिवादी संख्या 8 का हिस्सा 353/5155, प्रतिवादी संख्या 9 का हिस्सा 353/5155 दर्ज राजस्व रिकार्ड हैं। खाता संयुक्त होने से रकबा को सुधारने, ट्यूबवैल लगाने, बैंक से ऋण आदि लेने रकम–आबयाना जमा करवाने मे हर समय कठिनाईयां पैदा होती रहती है, खाता विभाजन करवा लेने से रास्ता– पानी लगाने– रकम–आबयानाजमा करवाने मे कठिनाईया न आये इसलिए वादी अपने हिस्सा का खाता विभाजन करवाना चा[illegible]कि कठिनाईया समाप्त हो सके। वादी एवं प्रतिवादीगण [illegible] काफी अर्सा से जैरवाद भूमि का आपस मे घरू बटवारा कर रखा [illegible] उसी अनुसार से अपना अपना

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.11.19 16:40:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

खाता विभाजन करवाना चाहते है। घरू बंटवारा अनुसार वादी तथा प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त निम्न प्रकार से हैं :–

वादी प्रभुराम पुत्र मामराज का कब्जा काश्त :–

चक 4 एस.डी. (ए) तहसील सूरतगढ़ :–
पत्थर नम्बर 12/33 मु.न. 32 किला नम्बर 6/0.038 हैक्टेयर(दक्षिणी पासा), 7, 8, 14, 15/1.0120 हैक्टेयर
पत्थर नम्बर 11/47 मु.न. 11 किला नम्बर 13, 14, 15/0.7590 हैक्टेयर, 23/1/0.215 हैक्टेयर
कुल = **2.024 हैक्टेयर मय रास्ता**

प्रतिवादी संख्या 1 गुरदीपसिंह(हिस्सा 4143/41240) , प्रतिवादी संख्या 2 सुखविन्द्रकौर(हिस्सा 4143/41240), प्रतिवादी संख्या 3 श्रंगारो कौर (हिस्सा 4143/41240), प्रतिवादी संख्या 4 गुरप्रीतसिंह(हिस्सा 4143/41240) का कब्जा काश्त :–

चक 4 एस.डी. (ए) तहसील सूरतगढ़ :–
पत्थर नम्बर 11/55 मु.न. 12 किला नम्बर 10/1/0.228 हैक्टेयर
पत्थर नम्बर 11/47 मु.न. 11 किला नम्बर 6/0.2530 हैक्टेयर,
पत्थर नम्बर 11/40 मु.न. 27 किला नम्बर 6/1, 6/2, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 23, 24, 25/1, 25/2 में 1.5180 हैक्टेयर मय खाला,
पत्थर नम्बर 12/33 मु.न. 32 किला नम्बर 2, 3, 4, 5, 6/0.215 हैक्टेयर(उतरी पासा) में 1.227 हैक्टेयर
पत्थर नम्बर 12/41 मु.न. 33 किला नम्बर 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 10/0.158(उतरी पासा)
कुल = **4.143 हैक्टेयर**

प्रतिवादी संख्या 5 सुखराज सिंह (हिस्सा 506/5155), प्रतिवादी संख्या 6 स्वराजसिंह(हिस्सा 506/5155) का कब्जा काश्त :–

चक 4 एस.डी. (ए) तहसील सूरतगढ़ :–
पत्थर नम्बर 12/41 मु.न. 33 किला नम्बर 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 7, 8, 9, 10/0.095(दक्षिणी पासा), 11, 12 में 1.866 हैक्टेयर
पत्थर नम्बर 12/49 मु.न. 34 किला नम्बर 1/1/0.143 हैक्टेयर(पश्चिमी पासा)
1/2/0.015 हैक्टेयर (पश्चिमी पासा)

कुल = **2.024** हैक्टेयर मय खाला

प्रतिवादी संख्या 7 इन्द्रादेवी (हिस्सा [illegible]), प्रतिवादी संख्या 8 नरेन्द्र कुमार (हिस्सा 353/5155), प्रतिवादी संख्या 9 सुरेन्द्र कुमार (हिस्सा 353/5155)का कब्जा काश्त :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.11.19 16:40:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

(वाद संख्याः– 106/2023)

चक 4 एस.डी. (ए) तहसील सूरतगढ़ :–

पत्थर नम्बर 11/56 मु.न. 25 किला नम्बर 1, 10, 11, 19, 20, 21, 22 में 1.771 हैक्टेयर

पत्थर नम्बर 12/49 मु.न. 34 किला नम्बर 1/1/0.085 हैक्टेयर(पूर्वी पासा) 1/2/0.010 हैक्टेयर (पूर्वी पासा), 2/1/0.228, 2/2/0.0250 में 0.348 हैक्टेयर

कुल = 2.119 हैक्टेयर मय खाला

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

वादी वाद पत्र के पैरा संख्या 4 के अनुसार वर्षो से घरू बंटवारा करके काश्त करते आ रहे है व भूमि को अपने अपने खर्चे से सुधार कर भारी खर्चा लगाकर काबिल काश्त किया है इसलिए अपने कब्जा काश्त अनुसार खाता विभाजन करवाना चाहता है। वादी ने प्रतिवादीगण को कई बार कहा कि वे तहसील में चलकर सहमति से खाता विभाजन करवा लें इस पर पहले तो वे हांमी भरते रहे लेकिन दिनांक 20.04.2023 को स्पष्ट इन्कार हो गये तथा कहा कि हमे तो खाता विभाजन की आवश्यकता नहीं है तुम्हें आवश्यकता है तो अदालत से करवा लो हम तो अदालत से नोटिस मिलने पर ही आयेगें। प्रतिवादीगण की यही इन्कारी ही वाद प्रस्तुत करने का कारण है। अतः निवेदन हैं कि वाद पत्र बाद सुनवाई डिक्री फरमाया जाकर अनुतोष क ता ख अनुसार प्रदान किया जावे।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 व 4, 10, 12 जरिये अभिभाषक उपस्थित आये। शेष प्रतिवादी बावजूद तामील हाजिर नहीं आये इसलिए उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादीगण संख्या 10 व 12 ने अपना जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि जैरवाद भूमि बैंक में रहन हैं इसलिए उनके हितो को ध्यान में रखते हुए वाद पत्र का निर्णय किया जावे। शेष प्रतिवादीगण द्वारा अपना जवाबदावा प्रस्तुत नही किया।

वाद पत्र में साक्ष्य करवाये जाने के बाद दोनो पक्षों के विद्वान अभिभाषकों की बहस सुनी गई।

वादीगण के विद्वान अभिभाषक ने वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए ही बहस की कि जैरवाद भूमि का खाता विभाजन वाद पत्र की मद संख्या 4 में वर्णित कब्जा काश्त अनुसार किया जावे। प्रतिवादी संख्या 10 व 12 द्वारा अपन जवाबदावा में अंकित तथ्यों को दोहराया।

दोनो पक्षों के विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन व चिन्तन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत जमाबन्दी से साबित हैं कि जैरवाद भूमि संयुक्त खाता की भूमि हैं। वादी द्वारा बताया गया घरू बंटवारा का कोई लिखित दस्तावेज वाद पत्र में सलंग्न नहीं है। वादी का खाता विभाजन का अनुतोष न्यायोचित है। इसलिए तहसीलदार सूरतगढ़ से विभाजन प्रस्ताव मंगवाकर खाता विभाजन करवाना उचित है। इसलिए माननीय राजस्व मण्डल द्वारा बनाये गये खाता विभाजन के नियमों अनुसार ही खाता विभाजन किया जाना उचित प्रतीत होता है। इसलिए वाद पत्र वादी आंशिक स्वीकार किया जाकर खाता [illegible] विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार सूरतगढ़ से मंगवाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वाद पत्र वादी आंशिक स्वीकार किया जाता हैं तथा तहसील

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.11.19 16:40:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

(वाद संख्याः– 106/2023)

सूरतगढ़ के चक 4 एस.डी. ए पटवार हल्का संगीता जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 जमाबन्दी 2077(वर्ष 2021)से स्थायी के खाता संख्या 16/25 में पत्थर नम्बर 11/40 मु.न. 27 के किला नम्बर 6/1, 6/2, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 23, 24, 25/1, 25/2 में 0.4560 हैक्टेयर कमाण्ड, 0.1000 हैक्टेयर खाला, 0.962 हैक्टेयर अनकमाण्ड, पत्थर नम्बर 11/47 मु.न. 11 के किला नम्बर 6, 13, 14, 15, 23/1 में 1.2270 हैक्टेयर कमाण्ड, पत्थर नम्बर 11/55 मु.न. 12 किला नम्बर 10/1 में 0.2280 हैक्टेयर, पत्थर नम्बर 11/56 मु.न. 25 किला नम्बर 1, 10, 11, 19 ता 22 में 1.7710 हैक्टेयर कमाण्ड, पत्थर नम्बर 12/33 मु.न. 32 किला नम्बर 2 ता 8, 14, 15 में 2.2770 हैक्टेयर अनकमाण्ड, पत्थर नम्बर 12/41 मु.न. 33 किला नम्बर 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 7 ता 12 में 0.6840 हैक्टेयर कमाण्ड, 0.1250 हैक्टेयर खाला, 1.9740 हैक्टेयर अनकमाण्ड, पत्थर नम्बर 12/49 मु.न. 34 किला नम्बर 1/1, 1/2, 2/1, 2/2 में 0.2280 हैक्टेयर, 0.0500 हैक्टेयर खाला, 0.2280 हैक्टेयर अनकमाण्ड कुल खाता 10.3100 हैक्टेयर खातेदारी कृषि भूमि पर तहसीलदार सूरतगढ़ को आदेश दिया जाता हैं कि वह पटवारी हल्का को साथ लेकर तथा पक्षकारों को सूचना देकर मौके पर जाकर वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार कुंआ व ढ़ाणी आदि को ध्यान मे रखते हुए तथा पुराने कब्जा काश्त को ध्यान में रखते हुए रास्ते व खाला की सुविधा का ध्यान रखते हुए विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा बनाकर अलग अलग रंग भर कर 20 दिवस में इस अदालत को भिजवायें। प्राथमिक डिक्री जारी हो।

आदेश सरे इजलास आज दिनांक 07.11.2024 को सुनाया गया।

(सन्दीप कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.11.19 16:40:35 IST
Reason: SelfAttested

(आदेश 21 नियम 6–7 जाब्ता दीवानी)

–:: प्राथमिक डिक्री ::–

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

(बइजलास – सन्दीप कुमार, आर.ए.एस.)

–: अनवान :–

प्रभुराम पुत्र मामराज जाति सुथार निवासी चक 7 एस.जी.एम. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

......वादी

बनाम

1. गुरदीपसिंह पुत्र हरचन्दसिंह जाति नाईसिख निवासी मोहम्मदाबाद भैरूपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
2. सुखविन्द्रकौर पत्नी हरचन्दसिंह जाति नाईसिख निवासी मोहम्मदाबाद तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
3. श्रंगारोकौर पत्नी जगतारसिंह जाति नाईसिख निवासी मोहम्मदाबाद तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
4. गुरप्रीतसिंह पुत्र जगतारसिंह जाति नाईसिख निवासी मोहम्मदाबाद भैरूपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
5. सुखराजसिंह पुत्र भादरसिंह जाति जटसिख निवासी खोसेवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
6. स्वराजसिंह पुत्र भादरसिंह जाति जटसिख निवासी खोसेवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
7. इन्द्रादेवी पत्नी पपिन्द्र कुमार जाति बिश्नोई निवासी संगीता तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
8. नरेन्द्र कुमार पुत्र पपिन्द्र कुमार जाति बिश्नोई निवासी संगीता तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
9. सुरेन्द्र कुमार पुत्र पपिन्द्र कुमार जाति बिश्नोई निवासी संगीता तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
10. शाखा प्रबन्धक, केनरा बैंक शाखा SURATGARH-II तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
11. शाखा प्रबन्धक, पंजाब नेशनल बैंक शाखा बीकानेर रोड़ सूरतगढ़।
12. शाखा प्रबन्धक, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड शाखा सूरतगढ़।
13. तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

.....प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 209 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 मुकदमा न. 106 वर्ष 2023 यह मुकदमा वास्ते इनफिसाल कितई रूबरू हमारे हाजरी वकील वादी श्री विनोद कुमार बिश्नोई एवं वकील [illegible] त कुमार सैनी तथा वकील प्रतिवादी सख्या 10 श्री ओमसिंह, वकील प्रति[illegible] 12 श्री सुरेन्द्रपालसिंह तथा राज पैरोकार के हाजिर होने पर हु[illegible] है कि :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.11.19 16:40:35 IST
Reason: SelfAttested

वाद पत्र वादी आंशिक स्वीकार किया जाता है तथा तहसील सूरतगढ़ के चक

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

4 एस.डी. ए पटवार हल्का संगीता जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 जमाबन्दी 2077(वर्ष 2021)से स्थायी के खाता संख्या 16/25 में पत्थर नम्बर 11/40 मु.न. 27 के किला नम्बर 6/1, 6/2, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 23, 24, 25/1, 25/2 में 0.4560 हैक्टेयर कमाण्ड, 0.1000 हैक्टेयर खाला, 0.962 हैक्टेयर अनकमाण्ड, पत्थर नम्बर 11/47 मु.न. 11 के किला नम्बर 6, 13, 14, 15, 23/1 में 1.2270 हैक्टेयर कमाण्ड, पत्थर नम्बर 11/55 मु. न. 12 किला नम्बर 10/1 में 0.2280 हैक्टेयर, पत्थर नम्बर 11/56 मु.न. 25 किला नम्बर 1, 10, 11, 19 ता 22 में 1.7710 हैक्टेयर कमाण्ड, पत्थर नम्बर 12/33 मु.न. 32 किला नम्बर 2 ता 8, 14, 15 में 2.2770 हैक्टेयर अनकमाण्ड, पत्थर नम्बर 12/41 मु.न. 33 किला नम्बर 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 7 ता 12 में 0.6840 हैक्टेयर कमाण्ड, 0.1250 हैक्टेयर खाला, 1.9740 हैक्टेयर अनकमाण्ड, पत्थर नम्बर 12/49 मु.न. 34 किला नम्बर 1/1, 1/2, 2/1, 2/2 में 0.2280 हैक्टेयर, 0.0500 हैक्टेयर खाला, 0.2280 हैक्टेयर अनकमाण्ड कुल खाता 10.3100 हैक्टेयर खातेदारी कृषि भूमि पर तहसीलदार सूरतगढ़ को आदेश दिया जाता हैं कि वह पटवारी हल्का को साथ लेकर तथा पक्षकारों को सूचना देकर मौके पर जाकर वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार कुंआ व ढ़ाणी आदि को ध्यान मे रखते हुए तथा पुराने कब्जा काश्त को ध्यान में रखते हुए रास्ते व खाला की सुविधा का ध्यान रखते हुए विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा बनाकर अलग अलग रंग भर कर 20 दिवस में इस अदालत को भिजवायें।

नोज.......... × .... मुबलिग.........× .... बाबत..........×..... ....खर्चा इस मुकदमे में मय सूद बशरह ...... × .... फस्दो की पालना ...... ×..... ... आज की तारीख से तारीख वसूलया वो तक की अदा करे।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक . 07.11.2024. . को जारी की गई।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

(सन्दीप कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.11.19 16:40:35 IST
Reason: SelfAttested